न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 10/2019 निर्णय दिनांक 23.04.2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का राणेर बी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(सायल)

बनाम

समीउल्ला पुत्र हाजी ईस्माईल जाति मुसलमान साकिन चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ़

(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणेर बी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल समीउल्ला पुत्र हाजी ईस्माईल जाति मुसलमान साकिन चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ़ ने कृषि सम्वत् 2075 में चक 3 जी.एम के मुरब्बा नम्बर 73/2 में कि.न. 2 ता 4 = 3.00, 8 ता 9 = 2.00, 10/0.18, 11/0.18, 12 ता 13 = 2.00 कुल 8.16 बीघा अ.क. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से फसल रबी(सरसो) कास्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल ने दिनांक 26.03.2019 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कर जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी को 2 दिवस का समय जवाब हेतु दिया गया। दिनांक 29.03.2019 को अप्रार्थी जरिये विद्ववान अधिवक्ता श्री योगेश चुघ जरिये वकालतनामा जवाब, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी 1908 मय आंवटन पत्रावली की नकल, चालान की नकल, नायब तहसीलदार न्यायालय की पत्रावली संख्या 22 वर्ष 2017 निर्णय दिनांक 09.2.2018 की नकल, सी.ए.डी विभाग द्वारा जारी क0/अ0क0 तस्दीक, प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई।

प्रश्नगत भूमि चक 3 जी.एम चक 3 जी.एम के मुरब्बा नम्बर 73/2 में कि.न. 2 ता 4 = 3.00, 8 ता 9 = 2.00, 10/0.18, 11/0.18, 12 ता 13, 20 =0.18 कुल 9.14 बीघा अ.क.राजकीय भूमि अप्रार्थी को दिनांक 25.10.1988 को श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर द्वारा आंवटित की गई थी। उक्त रकबे बाबत राशि 4365/-रू राजकोष में जरिये चालान संख्या 373 दिनांक 22.12.2010 को अप्रार्थी के द्वारा जमा करवाये जा चुके है। उक्त रकबा गजट सन् 1999 में प्रकाशित हो गया। रकबा गजट में प्रकाशित होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही किया जा सका।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोंषित किया जाना उचित नही है, पत्रावली इसी स्तर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार जाखड़)
तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़

तहसीलदार (राजस्व)
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner